



बिहार सरकार

# पशुपालन निदेशालय, बिहार



ई-मेल - dirahd-bih@nic.in

वेबसाइट - ahd.bih.nic.in

दूरभाष / फ़ैक्स - 0612-2215962

पत्रांक - 8 बजट (1) 16/2017 प0 पा0 63 (गि) 2110

दिनांक - 15/02/2018

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा0प्र0से0  
निदेशक, पशुपालन।

सेवा में,

निदेशक,  
पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना।

विषयः-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट शीर्ष - 2403- पशुपालन, केन्द्र प्रायोजित स्कीम 106- अन्य पशुधन विकास 0310- राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मांग संख्या-02, विपत्र कोड-02-2403001060310 के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालय के व्यय को वहन करने के लिए राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या-196 दिनांक-17.01.2018 के आलोक में आवंटनादेश संख्या- 20 (नि०) आ० दिनांक- 13.07.2017 के क्रम में निम्न तालिका के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹ 41,00,600/- (एकतालिस लाख छः सौ रूपये) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

| क्र०सं०   | विस्तृत शीर्ष | विषय शीर्ष                      | पूर्व का आवंटन | अतिरिक्त आवंटन | कुल आवंटन |
|---|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 1   | 2             | 3                               | 4              | 5              | 6         |
| 1   | 01- वेतन      | 0310. 01 01 - वेतन              | 884600         | 1745400        | 2630000   |
| 2   |               | 0310. 01 03 - जीवन यापन भत्ता   | 1203100        | 1996000        | 3199100   |
| 3   |               | 0310. 01 04 - मकान किराया भत्ता | 177000         | 313000         | 490000    |
| 4   |               | 0310. 01 05 - परिवहन भत्ता      | 22800          | 36200          | 59000     |
| 5   |               | 0310. 01 06 - चिकित्सा भत्ता    | 6000           | 10000          | 16000     |
| योग 02-2403.00.106.0310- राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम |               |                                 | 2293500        | 4100600        | 6394100   |
| ₹ 41,00,600/- (एकतालिस लाख छः सौ रूपये) मात्र।                                |               |                                 |                |                |           |

2- इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग सं० -2 के अधीन आय-व्ययक शीर्ष -2403- पशुपालन, केन्द्र प्रायोजित स्कीम 106- अन्य पशुधन विकास 0310- राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, विपत्र कोड -02-2403001060310 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3- यह आवंटन केन्द्र प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (राज्यांश स्थापना व्यय 100 प्रतिशत) के अन्तर्गत चालित "पशु रोगों को नियंत्रित करने के निमित्त राज्यों की सहायता की योजना" (ASCAD) के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए दिया जा रहा है।

4- वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998, 428/वि० दिनांक-31.03.2017 एवं 3002/वि० दिनांक-26.04.2017 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5- इस राशि का विकलन योजनान्तर्गत सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पद पर पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि भुगतान में ही किया जाय तथा किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त कर्मियों को भुगतान नहीं किया जाये। संगत वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

(७)

(७)

(क) एक विषयशीर्ष की राशि दूसरे विषयशीर्ष (वेतन-भत्ते को छोड़कर) में व्यय नहीं की जायेगी।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग -1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हों।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी0 भी0 नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप में उपलब्ध करा दें।

(घ) वित्तीय वर्ष 2017-18 का प्रत्येक प्रतिवेदन 15 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।

(ङ) मृत एवं सेवा निवृत्त कर्मियों के बकाये का भुगतान एवं कोर्ट केस से संबंधित मामलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

6- जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय /प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं0 - 8 बजट (1) 16/2017 प0 पा0 ..... 63 (नि0) 3170 पटना-15, दिनांक 15/02/2018

प्रतिलिपि - उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या - टी0 ए0- 57 - 96-97-प0पा0-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं0 - 8 बजट (1) 16/2017 प0 पा0 ..... 63 (नि0) 3170 पटना-15, दिनांक 15/02/2018

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं0 - 8 बजट (1) 16/2017 प0 पा0 ..... 63 (नि0) 3170 पटना-15, दिनांक 15/02/2018

प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0-405/98 पार्ट-3909 वि0 (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं0 - 8 बजट (1) 16/2017 प0 पा0 ..... 63 (नि0) 3170 पटना-15, दिनांक 15/02/2018

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं0 - 8 बजट (1) 16/2017 प0 पा0 ..... 63 (नि0) 3170 पटना-15, दिनांक 15/02/2018

प्रतिलिपि- सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा-09/ योजना शाखा-06 एवं 10, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को (विभागीय वेबसाइट पर आवंटनादेश को अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

CSM